हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
अधिसूचना

दिनांक ,2021

संख्या .—चूंकि, हरियाणा सरकार, वन विभाग द्वारा हरियाणा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों को विनियमित करने के लिए हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग वन विनियमन नियम, 2005 बनाए गए थे और जिन्हें हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 को प्रकाशित करवाया गया था:

और चूंकि, टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 ऑफ 1995 में माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 अधिसूचित किए गए तथा जिन्हें भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित करवाया गया था;

और चूंकि, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा जिन्हें भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित करवाया गया था;

और चूंकि, काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 द्वारा अपेक्षा की गई है कि राज्य अपने विद्यमान नियमों को इन दिशानिर्देशों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाएं;

इसलिए, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा की उपधारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1), धारा 42, 51 और 76 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना और विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षप्ति नाम तथा प्रारम्भ।	1. (1) ये नियम हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना और विनियमन 2021, कहे जा सकते हैं। (2) ये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू होंगे। (3) ये काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी समझे जाएंगे।
परिभाषाएं।	2.(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16); (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, क्षेत्रीय वन मण्डल का प्रभार धारण करने वाला उप वन संरक्षक या मण्डल वन अधिकारी; (ग) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों में संलग्न प्ररूप; (घ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई

अनुज्ञप्ति;

(ड़) "प्राथमिक इकाईयों" से अभिप्राय है, ऐसी इकाईयां, जिनमें अपरिष्कृत लकड़ी जैसे आरा मशीन, छिलाई मशीन, चिपिंग इकाईयां (जिसमें ड्रम चिप्पर होता है, जो गोल लकड़ी को संसाधित करता है) इत्यादि या किसी अन्य रूप में जैसे चंदन, कत्था लकड़ी और कोयला का उपयोग किया जाता है। ऐसी लकड़ी आधारित उद्यौगिक इकाईयां जो कटाई नियमों में छूट प्राप्त कृषि वानिकी प्रजातियों के अलावा घरेलू मूल की प्रजातियों के गोल लॉग का उपयोग 60 सैंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री–सॉ या एक गोल सॉ या गोलाकार सॉ में करती है,

(च) संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) के अधीन दिया गया है;

(छ) "पंजीकरण" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण;

(ज) "वन" से अभिप्राय है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वनों के रूप में परिभाषित कोई अन्य क्षेत्र;

(झ) "गोल लकड़ी" से अभिप्राय है, इसके प्राकृतिक रूप में लकड़ी का टुकड़ा, जिसकी छाल के नीचे तीस सैंटीमीटर अथवा इससे अधिक का मध्य घेरा हो और इसमें ऐसी गोल लकड़ी भी शामिल होगी, जिसकी छाल को हटाया गया हो अथवा इसके परिवहन या भण्डारण को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन के लिए इसके क्रॉस सेक्शन को वर्गाकार या वर्गाकार बनाने के लिए मैन्युअल रूप से या बैंड आरा या किसी अन्य मशीन या उपकरण का प्रयोग करते हुए इसकी सतह को तैयार किया गया है;

(ञ) "आरा मशीन" से अभिप्राय है, चीरी हुई लकड़ी को गोल लकड़ी में परिवर्तित करने के लिए नियत संरचना अथवा बाड़े में स्थित कोई संयंत्र और मशीनरी;

(ट) "चीरी लकड़ी" से अभिप्राय है, शहतीर, कड़ी, पटरा, तख्ता और गोल लकड़ी को चीरने से प्राप्त हुआ कोई ऐसा अन्य उत्पाद;

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

	(ड) "द्वितीयक इकाईयों से अभिप्राय है, वे काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाईयां, जिनमें मशीनरी लगी होती है और जिनमें आगे की प्रकिया के लिए प्राथमिक इकाईयों से लकड़ी ली जाती है, जैसे बैंड आरी के बिना स्टेंडएलोन और छिलाई मशीनरी, छिलाई मशीनरी के बिना स्टेंडएलोन, पार्टिकल बोर्ड बनाने वाली मध्यम घनत्व फाइबर, पार्टिकल बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, कागज की लुगदी, रेयॉन इकाईयां, छिलाई रहित प्लाईवुड पेस्टिंग इकाईयां; (ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय हैं, हरियाणा राज्य की सरकार; (ण) "राज्य स्तरीय समिति" से अभिप्राय है, नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित कोई समिति; (त) "क्षेत्रीय वन मण्डल" से अभिप्राय है, राज्य सरकार का सम्बन्धित क्षेत्रीय वन मण्डल; (थ) "काष्ठ आधारित उद्योग" से अभिप्राय है, कोई ऐसा उद्योग, जिसमें कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी को संसाधित किया जाता है (आरा मशीन/विनीर/प्लाईवुड अथवा किसी अन्य स्वरूप में जैसे चंदन, कत्था की लकड़ी इत्यादि)। (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें कमशः भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में दिए गए हैं।
राज्य स्तरीय समिति का गठन।	3. (1) राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी, अर्थात्:–

1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), हरियाणा।	अध्यक्ष
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक हरियाणा ।	सदस्य
3	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय का प्रतिनिधि।	सदस्य
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वानिकी), हरियाणा।	सदस्य सचिव
5	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), हरियाणा।	सदस्य
6	मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), हरियाणा।	सदस्य
7	हरियाणा वन विकास निगम, का प्रतिनिधि, जो मुख्य महाप्रबन्धक के पद से नीचे का न हो।	सदस्य
8	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि।	सदस्य

(2) राज्य स्तरीय समिति, वन विभाग में कार्यरत बहुत से अन्य अधिकारियों और कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा तथा राजस्व तथा आपदा प्रबंधन

	विभाग, हरियाणा के अधिकारियों को भी सहयोजित कर सकती है। (3) राज्य स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति की हरेक और प्रत्येक बैठक के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में आरा मशीन संगठन द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एक प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है। (4) राज्य स्तरीय समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी। (5) बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के कम से कम पचास प्रतिशत से होगी।
राज्य स्तरीय समिति की शक्तियां तथा कृत्य।	4. राज्य स्तरीय समिति की निम्नलिखित शक्तियों तथा कृत्य होंगे:– (i) प्रत्येक पांच वर्ष में काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी की उपलब्धता का निर्धारण करना; (ii) काष्ठ आधारित उद्योग की आवश्यकता के लिए विभिन्न कच्चे माल की मात्रा का निर्धारण करना, जिसकी राज्य में वन क्षेत्र से बाहर संधारणीय रूप में वृक्षों की कटाई से की जा सकती है; (iii) राज्य के घरेलू बाजार में इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण करना; (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग द्वारा प्रयुक्त इमारती लकड़ी और अन्य कच्चे माल का डाटाबेस बनाए रखना, जिन्हें राज्य में स्थापित और परिचालन की अनुमति है; (v) काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का अनुमोदन करना; (vi) काष्ठ आधारित उद्योगों के नाम का अनुमोदन करना, जिनको नई अनुज्ञप्ति देने या मौजूदा अनुज्ञप्त क्षमता में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है, यदि राज्य स्तरीय समिति की संतुष्टि हो जाती है कि इमारती लकड़ी (जैसे वन, वनों इत्यादि से बाहर वृक्ष के रूप में) उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से उपलब्ध है; (vii) यह सुनिश्चित करना कि वन विभाग के पास जमा (काष्ठ आधारित उद्योग से वसूली गई) परिकामी कोष की राशि का उपयोग केवल पौधारोपण कार्य व वानिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाऐ। (viii) नया पंजीकरण प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रदान करना या मौजूदा अनुज्ञप्त क्षमता में वृद्धि करना/इकाईयों का अन्तरण करना/स्वामित्व में परिवर्तन करना या अनुज्ञप्ति/पंजीकरण से संबंधित कोई अन्य मामला, यदि राज्य स्तरीय समिति की संतुष्टि हो जाती है कि इमारती लकड़ी

	(जैसे वन, वनों इत्यादि से बाहर वृक्ष के रूप में) उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से उपलब्ध है; (ix) अनुज्ञप्ति, पंजीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न फीस तथा हरित फीस के लिए समय–समय पर राज्य सरकार को सिफारिशें करना; (x) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य मामले की जांच करना और उपयुक्त सिफारिश करना;
इमारती लकड़ी का अनुमानित वार्षिक उपभोग ।	5. आरा मशीनों के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यक मात्रा का मूल्यांकन करने के प्रयोजन हेतु विभिन्न क्षमताओं वाले आरा मिलों के लिए गोल लकड़ी की वार्षिक जरूरत, वर्ष 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई केन्द्रीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित मानदंड के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा नियत की जा सकती है।
काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पर निर्बन्धन ।	6.(1) कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना, स्थापित क्षमता में विस्तार या संचालन नहीं करेगा जब तक वह पंजीकृत नहीं है और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्राप्त नहीं किया जाता है। (2) रोड़ साइड/रेलवे साइड/कैनाल साइड के सुरक्षित वनों को छोड़कर, अन्य वनों या संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से पांच सौ मीटर वायु मार्ग की दूरी के भीतर काष्ठ आधारित उद्योग को अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्रदान नहीं की जाएगी: परन्तु कोई भी काष्ठ आधारित उद्योग नजदीकी आरक्षित वन या संरक्षित क्षेत्र की सीमा से वायु मार्ग की दूरी पर विचार किए बिना औद्योगिक सम्पदा या नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है । (3) किसी भी काष्ठ आधारित उद्योग को अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाऐगा, यदि यह पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए, और राज्य में ऐसे प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से संबन्धित अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अंकित अधिसूचित दूरी के भीतर अवस्थित है: परन्तु इन नियमों में दी गई कोई भी बात, घरेलू बढ़ईगिरी, फर्नीचर बनाने वाली इकाईयों और आग जलाने वाले ईंधन डिपो के साधारण परिचालनों पर लागू नहीं होगी, जो गोल इमारती लकड़ी को चीरने, परिवर्तित करने, कटाई तथा संसाधित करने की सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं अथवा जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है।
अनुज्ञप्ति के लिए छूट।	7. तीस सैंटीमीटर डायामीटर तक के बैंड आरा या री–सॉ या गोल आरा के

	बिना घरेलू स्रोत की गोल लकड़ियों का प्रयोग या संचालित नहीं करने वाले निम्नलिखित काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात्:– (क) वैद्य स्रोतों से प्राप्त चिरान इमारती लकड़ी, केन, बांस, बेंत, प्लाईवुड, विनियर या आयातित उत्पाद; (ख) वैद्य स्रोत से प्राप्त ब्लैक बोर्ड, मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड या समरूप लकड़ी आधारित उत्पाद; (ग) कृषि–वानिकी/कृषि फसल के रूप में घोषित प्रजातियों से प्राप्त या पंजाब भू–परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम 2) की धारा 4 के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त गोल लकड़ी/इमारती लकड़ी: परन्तु राज्य स्तरीय समिति ऐसे उद्योगों में, जिनकी विशेषीकृत आवश्यकता है, साठ सेंटीमीटर तक के व्यास की वृत्ताकार आरे को लगाने की स्वीकृति दे सकती है।
काष्ठ आधारित उद्योगों का पंजीकरण।	8. (1) नियम 7 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सभी काष्ठ आधारित उद्योगों का पंजीकरण राज्य स्तरीय समिति के पास करवाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे; परन्तु ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि वे केवल कृषि–वानिकी/कृषि फसल के रूप में घोषित प्रजातियों से प्राप्त और/या राज्य कटाई के कार्यक्षेत्र तथा अभिवहन विनियमों से छूट प्राप्त और वैध स्रोतों से प्राप्त गोल लकड़ी/इमारती लकड़ी का ही प्रयोग करेंगे । (2) काष्ठ आधारित उद्योग का पंजीकरण करवाने वाला इच्छुक कोई व्यक्ति, अनुसूची में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित प्ररूप–1 में अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाईन आवेदन करेगा । (3) उपनियम (2) के अधीन ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी/वन मण्डल अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे और राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अध्यधीन स्वयं की संतुष्टि करने के बाद, राज्य स्तरीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करेगा । (4) राज्य स्तरीय समिति, सभी प्रासंगिक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, आवेदन का अनुमोदन कर सकती है; परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियॉ होंगी, यदि

	आवेदन प्रक्रिया के दौरान या पंजीकरण प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन/या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है। (5) राज्य स्तरीय समिति की पूर्व अनुमति के बिना काष्ठ आधारित उद्योग के लिए किसी भी पंजीकरण का अनुमोदन नहीं किया जाएगा। (6) मौजूदा काष्ठ आधारित उद्योग, जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और इकाईयों, जिनके लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है, के पंजीकरण के लिए मानदण्ड पूरा करता है, इस आशय की नई वचनबद्धता कि वह ऐसा मानदण्ड पूरा करता है, सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा। (7) सक्षम प्राधिकारी उद्योग के नाम से इसे एकल पंजीकरण संख्या देते हुए प्ररूप–ा में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा। (8) उद्योग द्वारा पंजीकरण के ब्यौरों में कोई परिवर्तन जैसे स्वत्वधारी या प्रबंधन निदेशक के नाम पता, क्षमता, प्रयुक्त काष्ठ में स्रोत, किस्म, क्षमता वृद्धि में परिवर्तन, अपेक्षित फीस का भुगतान करने के बाद ऑनलाईन आवेदन द्वारा किया जा सकता है, जिसका राज्य स्तरीय समिति तीन मास के भीतर निपटारा कर सकती है तथापि, उद्योग के नाम और एकल पंजीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि उद्योग के नाम में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है, तो पुराना पंजीकरण रद्द किया जाऐगा और नये नाम से उद्योग के नये पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाऐगा। (9) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य स्तरीय समिति, जैसा यह उचित समझे और दिशानिर्देशों/नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार नये पंजीकरण के अनुमोदन के लिए प्रकिया निर्धारित कर सकती है और मैकनिजिम विनिर्दिष्ट कर सकती है।
काष्ठ आधारित उद्योग के लिए अनुज्ञप्ति।	9.(1) सभी प्राथमिक इकाईयां जोकि नियम 2 (1) (ड़.) इन नियमों के अधीन आती हैं, को अनुज्ञप्ति जारी की जानी अपेक्षित होंगी। (2) कोई व्यक्ति जो काष्ठ आधारित उद्योग के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति लेने का इच्छुक हो वह राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाईन के माध्यम से निर्धारित फीस के साथ फार्म–ा में आवेदन करेगा। (3) उप–नियम (2) के अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य स्तरीय समिति आवेदन को सक्षम प्राधिकारी/वन मण्डल अधिकारी को अग्रेषित करेगी। सक्षम प्राधिकारी खुद को संतुष्ट करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन जांच करके आवेदन को अपनी टिप्पणी सहित राज्य स्तरीय समिति को भेजेगा।

	(4) राज्य स्तरीय समिति, दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित राज्य में लकड़ी की उपलब्धता के आवधिक निर्धारण के आधार पर, और सभी प्रासंगिक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का अनुमोदन कर सकती है: परन्तु राज्य में कृषि वानिकी प्रजातियों से प्राप्त लकड़ी को छोड़कर, केवल काष्ठ आधारित उद्योग को प्रदत्त अनुज्ञप्ति के लिए लकड़ी की उपलब्धता पर विचार किया जाएगा और उत्तरदायी होगी: परन्तु यह और कि राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियॉ होंगी, यदि आवेदन प्रकिया के दौरान या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है। (5) राज्य स्तरीय समिति की पूर्व अनुमति के बिना काष्ठ आधारित उद्योग के लिए किसी भी अनुज्ञप्ति का अनुमोदन नहीं किया जाएगा। (6) अनुज्ञप्तियों के अनुमोदन के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय समिति, केवल उन प्राथमिक इकाईयों, जिनके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, के आवेदनों के लिए उपरोक्त यथा वर्णित राज्य में लकड़ी की उपलब्धता पर विचार करेगी और उत्तरदायी होगी। (7) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य स्तरीय समिति, जैसा यह उचित समझे और दिशानिर्देशों/नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार नई अनुज्ञप्ति के अनुमोदन की प्रकिया निर्धारित कर सकती है और मैकनिजिम विनिर्दिष्ट कर सकती है।
अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान करना।	10(1) राज्य स्तरीय समिति, इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन मांगेगी और इसे आवश्यक सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/वन मण्डल अधिकारी को अग्रेषित करेगी। सक्षम प्राधिकारी से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, राज्य स्तरीय समिति आवेदक को ऑफर पत्र जारी करेगी जिसमें अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जैसा भी मामला हो नियमों व शर्तों का उल्लेख होगा। (2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम {1} के अधीन प्रस्ताव–पत्र जारी किया गया है, ऐसी फीस सहित और तीस दिन की अवधि अथवा ऐसी अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप, जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में स्वीकृति–पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि नियत अवधि के भीतर अपेक्षित फीस सहित स्वीकृति–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो आवेदन रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और प्रकिया फीस समयपहृत हो जाएगी।

	(3) राज्य स्तरीय समिति, अपेक्षित फीस सहित स्वीकृति–पत्र की प्राप्ति के उपरान्त, सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप–ा में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निर्देश देगी। (4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है, राज्य स्तरीय समिति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करेगा और ऐसे उद्योग की स्थापना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा । सक्षम प्राधिकारी, सम्यक् परिश्रम संतोषजनक रूप से पूरा करने और जारी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अनुसार मशीनरी सहित इकाई की स्थापना से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त उसकी सूचना राज्य स्तरीय समिति को देगा: परन्तु यदि आवेदक नियत अवधि के भीतर उद्योग स्थापित करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्ति या पंजीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा। (5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों, जैसी भी स्थिति हो, के सभी अन्य ऐसी विधियों और विनियमों, जो समय–समय पर लागू हों, के अधीन यथा लागू आवश्यक अनुमतियां या अनुज्ञप्ति या पंजीकरण भी प्राप्त करेगा। (6) किसी व्यक्ति को प्रस्ताव–पत्र जारी करना अथवा अनुज्ञप्ति अथवा पंजीकरण प्रदान करना, विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने में छूट/रियायत पाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा और विभिन्न विभागों/प्राधिकरणों से समाशोधन/अनुमतियां प्राप्त करने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकियाओं की निर्धारित अपेक्षएं पूरी करना ऐसे व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी। (7) सभी काष्ठ आधारित उद्योग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विहित सभी पर्यावरण और अन्य विनियमों का अनुपालन करेंगे, जो इन उद्योगों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन लागू हों ।
अनुज्ञप्ति या पंजीकरण की वैधता।	11. इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति या पंजीकरण, जारी करने अथवा नवीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से पांच वर्ष की अनधिक ऐसी अवधि के लिए वैध रहेगा ।
अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण ।	12.(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है वह ऑनलाईन पोर्टल पर सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण की समाप्ति से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप–ाा में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। (2) आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित

	समझे तथा स्वंय को संतुष्ट करने के उपरान्त कि ऐसा आवेदन, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है, आवेदन को सत्यापन और टिप्पणियों सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगा । (3) राज्य स्तरीय समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन और प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के आधार पर तथा सभी प्रासंगिक शर्ते पूरी किए जाने के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन का अनुमोदन कर सकती है और उसे प्ररूप–IV में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी: परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियॉ होंगी, यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान या पंजीकरण प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है। (4) किसी भी काष्ठ आधारित उद्योग के लिए किसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण, राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाऐगा। (5) सक्षम प्राधिकारी, राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण करेगा।
फीस।	13. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का नवीकरण अथवा अंतरण चाहने वाला व्यक्ति, इन नियमों से संलग्न अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट फीस जो कि सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाऐगी, का भुगतान करेगा।
बिकी अथवा उतराधिकार पर अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का अंतरण।	14.(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या पंजीकरण प्रदान किया गया है, राज्य स्तरीय समिति को अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण हेतु आवेदन कर सकता है। (2) आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे तथा स्वंय को संतुष्ट करने के उपरान्त कि ऐसा आवेदन, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है, आवेदन को सत्यापन और टिप्पणियों तथा सुसंगत दस्तावेजों सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा। (3) राज्य स्तरीय समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन और प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के आधार पर तथा सभी प्रासंगिक शर्तें तथा प्रासंगिक दस्तावेज पूरे किए जाने के अध्यधीन, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण हेतु आवेदन का अनुमोदन कर सकती है और उसे अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का अंतरण प्रदान करने

	हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजेगी: परन्तु राज्य स्तरीय समिति को आवेदन रद्द करने की शक्तियां होंगी, यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान या पंजीकरण प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय पर आवेदन या समर्थित दस्तावेजों में कोई विसंगति ध्यान में आती है: परन्तु यह और कि राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण हेतु सामान्यतः अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी:– (क)ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण के लिए आवेदन किया गया है: (ख)विरासत तथा उत्तराधिकार या व्यवसाय के विभाजन के आधारों पर ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण के लिए आवेदन किया गया है: (ग)ऐसी अनुज्ञप्ति या पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के अंतरण के लिए आवेदन किया गया है और अनुज्ञप्तिधारी या पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति स्थाई अन्तरण के बदले में ऐसी राशि का भुगतान करने का इच्छुक है, जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विहित की जाए। (4) विक्रय/उत्तराधिकार इत्यादि पर अनुज्ञप्ति का अंतरण केवल राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा। (5) सक्षम प्राधिकारी राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी या इस पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति के पक्ष में अनुज्ञप्ति या पंजीकरण का अंतरण करेगा।
काष्ठ आधारित उद्योग को पुनः अवस्थित करना ।	15.(1) किसी काष्ठ आधारित उद्योग को पुनः अवस्थित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, पुनः अवस्थित किए जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर, अपनी टिप्पणियां वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को देगा, जो आवेदन को अपनी टिप्पणियों के साथ राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत कर सकता है, जो इसकी जांच कर सकती है, अथवा यदि यह उचित समझे तो काष्ठ आधारित उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः अवस्थित

	करने की अनुमति दे सकती है। (2) किन्हीं भी काष्ठ आधारित उद्योगों को पुनः अवस्थित हेतु इन नियमों के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र में अनुमत नहीं किया जाएगा। (3) पुनः अवस्थित किये जाने के पूर्व उद्योग की प्रयुक्त मशीनों की कुल संख्या और वार्षिक क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी। (4) मशीनों की किस्म एक किस्म से किसी अन्य किस्म में परिवर्तित नहीं की जाएगी। (5) काष्ठ आधारित उद्योग मशीनरी और परिसर, राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति/फर्म को पट्टे पर नहीं दिए जाएंगे।
अपील।	16.(1) यदि कोई प्राधिकृत अधिकारी, इन नियमों के अधीन प्रदान की गई किसी अनुज्ञप्ति को जारी करने, अथवा का नवीकरण करने, अथवा प्रतिसंहरण करने से इन्कार करता है अथवा किसी काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई को पुनः अवस्थित अथवा का अंतरण करने से इन्कार करता है, तो वह आवेदनकर्ता अथवा धारक, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे इन्कार अथवा प्रतिसंहरण करने के लिए लिखित में कारण देते हुए, आदेश द्वारा संसूचित करेगा। (2) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति साठ दिन के भीतर उपयुक्त राहत प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय के सम्मुख अपील दायर कर सकता है। (3) प्रादेशिक कार्यालय का मुखिया अपील दायर करने के साठ दिन के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करेगा। (4) प्रादेशिक कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका/आवेदन/अपील दायर कर सकता है।
अभिलेखों का रख–रखाव।	17.(1) प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग, प्ररूप–v (क) तथा प्ररूप–v (ख) के अनुसार इमारती लकड़ी की प्राप्ति और निपटान का उचित अभिलेख रखेगा। (2) काष्ठ आधारित उद्योग, जब कभी सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, इमारती लकड़ी की समीक्षा और जांच हेतु अभिलेख प्रस्तुत करेगा। (3) यदि उद्योग संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करता है, तो राज्य स्तरीय समिति, अनुज्ञप्ति क्षमता में परिवर्तन और उद्योग, लगातार दो वर्ष की अवधि, जो राज्य स्तरीय समिति के विवेक पर तीन वर्ष तक विस्तारणीय है, के लिए निरंतर रूप से अपनी इष्टतम क्षमता का उपयोग नहीं कर पाने के मामले में अनुज्ञप्ति को

	प्रतिसंहरण करने सहित समुचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।
परिसर की तलाशी लेने की शक्ति।	18. राज्य स्तरीय समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी समय पर, काष्ठ आधारित उद्योग के परिसरों में अनुज्ञप्ति की वास्तविकता अभिनिश्चित करने अथवा इमारती लकड़ी की जांच करने हेतु प्रवेश कर सकता है।
अनुज्ञप्ति / पंजीकरण का प्रतिसंहरण।	19. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य स्तरीय समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी, जहां उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि कोई काष्ठ आधारित उद्योग का परिचालन इन नियमों / दिशानिर्देशों के उपबंधों अथवा अनुज्ञप्ति या पंजीकरण की शर्तों की उल्लंघना में हो रहा है अथवा वन संरक्षण के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में लगा हुआ है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त, इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या पंजीकरण को रद्द कर सकता है, निलंबित कर सकता है अथवा का प्रतिसंहरण कर सकता है।
शास्ति।	20. इन नियमों की कोई उल्लंघना, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 77 के अधीन विहित शास्त्ति / दण्ड के लिए दायी होगी।
निरसन और व्यावृति।	21. हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग वन विनियमन नियम, 2005, तत्सम्बन्धित नोटिफिकेशन न. एस.ओ.34 / एच.एफ.आर.डब्ल्यू.बी.आई.आर 2005 / आर. 6 / 2006 दिनांक 10.03.2006 सहित तथा हरियाणा वन प्रबन्धन लकड़ी आधारित उद्योग परिकामी कोष निधि नियम, 2009 इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: परन्तु ऐसा निरसन– (क) ऐसी किसी बात का पुनर्विलोकन नहीं करेगा, जो ऐसे निरसन, के प्रभावी होने के समय पर लागू अथवा विद्यमान नहीं थी; या (ख) इस प्रकार निरसित नियमों के पूर्व परिचालन या उसके अधीन विधिवत रूप से की गई अथवा वहन की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या (ग) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा; या (घ) इस प्रकार निरसित नियमों के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा; या (ड़) यथा उपरोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता,

	दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा: परन्तु यह और कि ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, संस्थित, जारी या लागू किया जा सकता है, तथा ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है मानो हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग वन विनियमन नियम, 2005, अधिसूचित नही किए गए थे।

प्ररूप–।

{देखिए नियम 8 तथा 9}

काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित और संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति/पंजीकरण हेतु आवेदन

सेवा में

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
काष्ठ आधारित उद्योग।

फोटो

विषयः– **काष्ठ आधारित उद्योग/इमारती लकड़ी डिपो स्थापित और संचालित करने हेतु नई अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के लिए आवेदन।**

1. आवेदनकर्ता

(i)	नाम/फर्म	:–
(ii)	आवेदनकर्ता का किस्म	:–
(iii)	स्वामित्व की प्रकृति	:–
(iv)	स्वामी का नाम	:–
(v)	पिता का नाम	:–
(vi)	जन्म तिथि	:–
(vii)	स्थाई पता	:–
(viii)	वर्तमान पता	:–
(ix)	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	:–
(x)	ई–मेल	:–
(xi)	पैन/जी.एस.टी.संख्या	:–
(xii)	आधार संख्या	:–

2. प्रस्तावित इकाई

(i)	नाम	:–
(ii)	अवस्थिति/पता	:–
(iii)	वन रेंज/वन मण्डल	:–
(iv)	जिला	:–
(v)	निकटतम आरक्षित वन से दूरी	:–

3. स्थापित की जाने वाली इकाई की किस्म और प्रवर्ग (टिक करें, जो भी लागू हों)

(क) आरा मशीन (ख) विनियर मिल (ग) प्लाईवुड इकाई (घ) स्टेंडअलोन चिराई मशीन (ङ) स्टेंडअलोन स्लाईसर (च) स्टेंडअलोन प्रेस (छ) माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर (ज) पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन (झ) माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड (ञ) कत्था इकाईयां (ट) काठ कोयला इकाईयां (ठ) इमारती लकड़ी डिपो (ड) अन्य

4. **उपयोग किये जाने वाला कच्चा माल (टिक करें, जो भी लागू हों)**

(कं) विधिक स्रोत से लकड़ी (खं) अनुज्ञप्तिप्राप्त आरा मशीनों से चीरी हुई इमारती लकड़ी/सामग्री

5. **काष्ठ आधारित इकाईयों और डिपो में भंडार किए जाने वाले वन उत्पाद के विवरण**

6. **स्थापित की जाने वाली मशीनरी का विवरण (आरा, पिल्लर, चिप्पर आदि)**

क्रम संख्या	मशीनरी का प्रकार तथा आकार	संख्या	अश्वशक्ति क्षमता	घनमीटर में स्थापित क्षमता (वार्षिक)	
				गोल लकड़ी	चीरी लकड़ी
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

7. **भूमि का विवरण जिस पर इकाई स्थापित की जानी है:–**

(कं) क्षेत्रफल---------- (खं) अवस्थिति---------- (गं) आवंटन/प्लॉट संख्या----------(घं) गांव---------- (ड़) कस्बा/शहर---------- (चं) जिला----------(छं) औद्योगिक क्षेत्र का नाम----------

8. **अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (टिक करें, जो भी लागू हों)**

(कं) पता प्रमाण
(खं) आवेदक का फोटो
(गं) पहचान पत्र (पैन कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, मतदाता पहचान पत्र)
(घं) फर्म/सोसाईटी/साझेदारी/कंपनी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र
(ड़) इकाई के मार्ग सहित अवस्थान मानचित्र
(चं) भू–स्वामित्व/भू–आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज

घोषणा:

(1) मैं,---------- अवस्थित----------का स्वामी/प्रबंधक निदेशक घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा कोई भी सूचना प्रकट किए जाने से छिपाई नहीं गई है। यदि बाद में कोई झूठ पाया जाता है, तो मेरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए।

(2) मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूं कि मैं काष्ठ आधारित उद्योग इकाई की स्थापना तथा प्रचालन के संगत सभी विधियों/नियमों/निर्णयों और काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 (आवेदनकर्ता इस खंड की जांच करें) के अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों सहित राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा, अन्य सरकारी प्राधिकरणों तथा न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/आधार ओटीपी सत्यापन

प्ररूप–II

{देखिए नियम 8 तथा 9}

काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित और संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के नवीकरण प्रदान करने हेतु प्ररूप।

अनुज्ञप्ति /पंजीकरण संख्या ----------

दिनांक----------

फोटो

हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2021 के उपबंधों के अधीन श्री/श्रीमति/कुमारी फर्म----------(बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री निवासी ---------- जिला में ---------- (इसमें, इसके बाद "अनुज्ञप्तिधारक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को निम्नलिखित विवरण तथा प्ररूप के पिछली ओर दी गई शर्तों के अध्यधीन काष्ठ आधारित उद्योग की 'स्थापना तथा प्रचालन हेतु अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

1	इकाई का नाम			
2	इकाई की श्रेणी			
3	स्वामित्व की प्रकृति			
4	अक्षांश/देशांतर के साथ इकाई की अवस्थिति			
5	इकाई का डाक पता	प्लॉट संख्या		
		गांव		
		जिला		
		पिनकोड़ संख्या		
6	निकटतम आरक्षित वन क्षेत्र से दूरी			
7	मशीनरी का विवरण तथा मंजूर शक्ति	**क्रम संख्या**	**मशीनरी माप सहित**	**क्षमता (अश्वशक्ति)**
		1.		
		2.		
		3.		
8	इकाई की क्षमता	----------		प्रति वर्ष गोल लकड़ी घन मीटर
		----------		प्रति वर्ष चिरी लकड़ी घन मीटर
9	कच्चे माल का स्रोत			
10	अनुज्ञप्ति/पंजीकरण की जमा की गई फीस की राशि	राशि----------		
		रसीद संख्या----------दिनांक----------		
11	नवीनीकृत अनुज्ञप्ति/पंजीकरण की वैधता	से		तक

दिनांक:
स्थान:

(जारी करने वाले प्राधिकारी के हसताक्षर नाम, मोहर सहित पदनाम)

शर्तें:

1. अनुज्ञप्ति---------- से पांच (5) वर्ष की अवधि तक वैध होगी, तथा नियमों के अधीन यथा निर्देशानुसार इसका नवीकरण किया जा सकता है।
2. अनुज्ञप्तिधारी, मण्डल वन अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना, काष्ठ–आधारित उद्योग की अवस्थिति में बदलाव नहीं करेगा।
3. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई किसी भी प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अध्यधीन होगी।
4. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित प्ररूप में रजिस्टर, दस्तावेजों और लेखों को रखेगी और रख–रखाव करेगी।
5. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई, जिसे किसी विशेष श्रेणी के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, को नई अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
6. राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की अनुज्ञप्ति में उल्लेखित क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी अथवा इससे अन्यथा कोई नई मशीनरी स्थापित नहीं की जाएगी।
7. अनुज्ञप्ति में उल्लिखित काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की अवस्थिति या भवन को राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना बदला नहीं जाएगा।
8. अनुज्ञप्ति में उल्लिखित काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई का नाम राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना बदला नहीं जाएगा।
9. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की अनुज्ञप्ति या स्वामित्व को राज्य स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
10. भण्डारण के लिए प्रांगण सहित काष्ठ आधारित उद्योगों के परिसर उपयुक्त दरवाजों के साथ लगी बाड़ से परिबद्ध होंगे।
11. प्रत्येक गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई लकड़ी तथा अपशिष्ट लकड़ी का पर्यवेक्षी वन स्टाफ के स्टॉक लेने और निरीक्षण संकट बनाने के लिए उचित रूप से ढ़ेर लगाया जाएगा।
12. संबंधित विभाग/एजेन्सियों/प्राधिकरणों से सभी प्रकार की आवश्यक वैधानिक अनुमति/समाशोधन प्राप्त करना, अनुज्ञप्तिधारी का निजी दायित्व होगा।

नोटः यदि इकाई द्वारा ऐसी कोई मशीन स्थापित/संचालित की गई पाई जाती है, जिसके लिए इकाई को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है, तो ऐसी इकाई के संबंध में राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई अनुमति को वापिस लिया गया/रद्द किया हुआ माना जाएगा।

दिनांकः
स्थानः

(जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम, मोहर सहित पदनाम)

प्ररूप–III
{देखिए नियम 12}

काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के आवेदन हेतु प्ररूप

सेवा में

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
काष्ठ आधारित उद्योग।

फोटो

विषयः– काष्ठ आधारित उद्योगों/इमारती लकड़ी डिपो की अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन।

मैं,————————————————————इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि ——————————————————————————————————द्वारा जारी अनुज्ञप्ति संख्या——————————दिनांक——————————के अधीन काष्ठ आधारित उद्योग इकाई उसी अवस्थिति भवन में अनुमोदित क्षमता अनुसार कार्यरत है तथा अनुमोदित कच्चा माल उपयोग कर रही है तथा अनुज्ञप्ति के अनुसार उसी स्वामित्वाधीन तथा इसके संचालन के दौरान अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अनुज्ञप्ति/पंजीकरण की वैधता दिनांक——————————तक है। काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुज्ञप्ति/पंजीकरण का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आवेदनकर्ता

(i) नाम/फर्म :–
(ii) आवेदनकर्ता की किस्म :–
(iii) स्वामित्व की प्रकृति :–
(iv) स्वामी का नाम :–
(v) पिता का नाम :–
(vi) जन्म तिथि :–
(vii) स्थाई पता :–
(viii) वर्तमान पता :–
(ix) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :–
(x) ई–मेल :–
(xi) पैन/जी.एस.टी.संख्या :–
(xii) आधार संख्या :–

2. मौजूदा इकाई का विवरण

(i) अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संख्या :–
(ii) जारी करने की तिथि :–
(iii) वैधता :–
(iv) मौजूदा अवस्थिति :–
(v) अन्तरण किया गया है या नहीं :–
(vi) यदि हां, (तो मृत्यु के मामले, स्वामित्व के अन्तरण इत्यादि और ऐसे अन्तरण की तिथि स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें)। :–
(vii) अनुज्ञप्ति/पंजीकरण जारी करने वाला प्राधिकारी :–

3. **इकाई की किस्म और श्रेणी (टिक करें, जो भी लागू हों)।**

(क) चिराई मिल (ख) विनियर मिल (ग) प्लाईवुड इकाई (घ) स्टेंडअलोन चिराई मशीन (ड़) स्टेंडअलोन स्लाईसर (च) स्टेंडअलोन प्रेस (छ) माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर (ज) पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन (झ) माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड (ञ) कत्था इकाईयां (ट) काठ कोयला इकाईयां (ठ) लकड़ी डिपो (ड) अन्य

4. **मौजूदा मशीनरी का विवरण (आरा, पिल्लर, चिप्पर आदि)**

क्रम संख्या	विशिष्ठता/आकार सहित मशीनों का प्रकार	संख्या	अश्वशक्ति में क्षमता	घनमीटर में स्थापित क्षमता (वार्षिक)	
				गोल लकड़ी	चीरी लकड़ी
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

5. **अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (टिक करें, जो भी लागू हों)**

(क) पता का प्रमाण।

(ख) आवेदक का फोटो।

(ग) पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड चालन अनुज्ञप्ति या मतदाता पहचान पत्र)।

(घ) फर्म/सोसाईटी/भागी या कंपनी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

(ड़) औद्योगिक विभाग में इकाई का पंजीकरण प्रमाण–पत्र ।

(च) पहुंच दर्शाते हुए इकाई का अवस्थिति मानचित्र।

(छ) भू–स्वामित्व/भू–आवंटन दर्शाते हुए दस्तावेज।

(ज) मौजूदा अनुज्ञप्ति की प्रति।

(झ) अन्तरण प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि लागू हो)।

मैं, इसके द्वारा, हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2021 में उपबन्धित के अनुसार आगामी अवधि के लिए अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन करता हूं।

दिनांक:

स्थान:

(अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर)

प्ररूप–IV

{देखिए नियम 12}

काष्ठ आधारित उद्योग के लिए अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के नवीकरण हेतु प्ररूप

फोटो

निम्नलिखित विवरण तथा प्ररूप के पीछे दी गई शर्तों के अध्यधीन हरियाणा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2021 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संख्या ——————दिनांक——————का नवीनीकरण, इसके द्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी/फर्म——————के पत्र में किया जा है:–

1	अनुज्ञप्तिधारी/पंजीकृत व्यक्ति का नाम			
2	पिता का नाम			
3	अनुज्ञप्तिधारी/पंजीकृत व्यक्ति का पता			
4	स्वामित्व की प्रकृति			
5	इकाई का नाम			
6	इकाई की श्रेणी			
7	इकाई का डाक पता	प्लॉट संख्या		
		गांव		
		जिला		
		पिनकोड़ संख्या		
8	मशीनरी का विवरण तथा मंजूर शक्ति	क्रम संख्या	मशीनरी और उसका आकार	क्षमता (अश्वशक्ति)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
9	इकाई की क्षमता	——————प्रति वर्ष गोल लकड़ी घन मीटर ——————प्रति वर्ष चिरी लकड़ी घन मीटर		
10	कच्चे माल का स्रोत			
11	भुगतान की गई फीस की राशि	राशि—————— रसीद संख्या——————दिनांक——————		
12	नवीनीकृत अनुज्ञप्ति/पंजीकरण की वैधता	से		तक

दिनांक:

स्थान:

(जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम, मोहर सहित पदनाम)

नोट: प्ररूप–II में अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्रदान करने के लिए समरूप शर्तें लागू होंगी और इस नवीनीकृत अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित की जाएंगी।

प्ररूप–V(क)
{देखिए नियम 17(1)}

काष्ठ आधारित उद्योग और डिपो में वन उत्पाद की प्राप्ति दर्शाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

प्राप्ति की तिथि	प्राप्त हुए वन उत्पाद का ब्यौरा				प्रजाति
	स्रोत	अभिवहन अनुमति संख्या	तिथि	द्वारा जारी	
(1)	(2)	(2ख)	(2ग)	(2घ)	(3)

वन उत्पाद की मात्रा (खम्भों, बांस,प्लाईवुड आदि के मामले में श्रेणी/संख्या तथा जलाऊ लकड़ी के मामले में टन)		आरा का आकार अथवा प्राप्त परिष्कृत उत्पादों की मात्रा	टिप्पणियां
संख्या	घन मीटर	संख्या/घन मीटर	
4(क)	4(ख)	(5)	(6)

प्ररूप–V (ख)
{देखिए नियम 17(1)}

काष्ठ आधारित उद्योग और डिपो में वन उत्पाद का निपटान दर्शाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

निपटान की तिथि	प्रजाति	निपटाए गए उत्पाद का ब्यौरा		
		संख्या	घन मीटर	परमिट संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(3ग)

किसको निपटाया गया (गतव्य स्थान और पता)	टिपणियां (रोकड़ बिल संख्या आदि)
(4)	(4)

अनुसूची "क"
{देखिए नियम 13}

क. अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के लिए एकमुश्त भुगतान।

प्रवर्ग का नाम	एकमुश्त भुगतान राशि (रूपए में)	टिप्पणियां
आरा मशीन अनुलम्ब बैंड आरा प्रति आरा	बीस हज़ार	
आरा मशीन होरिजेन्टल बैंड आरा प्रति आरा	दो लाख	
विनियर मिल	छह लाख	छिलाई मशीन के लिए प्रति चार फुट (एकमुश्त भुगतान राशि में आनुपातिक वृद्धि छिलाई मशीन की लम्बाई और संख्या के अनुसार होगी। यदि स्लाईसर मशीन का उपयोग किया जाता है, तब उसके लिए अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान लागू होगां)।
प्लाईवुड इकाई	पन्द्रह लाख	किसी भी आकार और दस डेलाईट की प्रति प्रेस। प्रत्येक प्रेस में दस डेलाईट्स के बाद प्रति डेलाईट के लिए अलग से साठ हजार रूपये का एकमुश्त भुगतान। आवेदक साथ में चिराई मशीन का चुनाव कर सकता है। चिराई मशीन के लिए एकमुश्त भुगतान लागू होगां।
स्टेंडअलोन चिराई मशीन	तीन लाख	
स्टेंडअलोन स्लाइसर	छह लाख	आठ फुट या कम के आकार के एक स्लाइसर के लिए।
स्टेंडअलोन प्रेस	छह लाख	किसी भी आकार की प्रति स्टेंडअलोन प्रेस तथा दस डेलाईट्स। प्रत्येक प्रेस में दस डेलाईट्स के बाद प्रति डेलाईट के लिए अतिरिक्त साठ हज़ार रूपए का एकमुश्त भुगतान।
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर	तीस लाख	
पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन	बीस लाख	
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड	पचास लाख	
कत्था इकाईयां	छह लाख	
काष्ठ कोयला इकाईयां	दो लाख	

ख. अनुज्ञप्ति/पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस।

इकाई का नाम	अनुज्ञप्ति पंजीकरण फीस (रूपए में)	नवीनीकरण फीस (रूपए में)
अनुलम्ब बैंड के साथ आरा मशीन	10,000/–	5000/–
सपाट बैंड के साथ आरा मशीन	20,000/–	10,000/–
विनियर मिल	40,000/–	20,000/–
प्लाईवुड इकाई	50,000/–	25,000/–
स्टेंडअलोन चिराई मशीन	10,000/–	5,000/–
स्टेंडअलोन स्लाइसर	20,000/–	10,000/–
स्टेंडअलोन प्रेस	40,000/–	20,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर	50,000/–	25,000/–
पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन	50,000/–	25,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड	75,000/–	40,000/–
कत्था इकाईयां	20,000/–	10,000/–
काष्ठ कोयला इकाईयां	15,000/–	7,500/–
लकड़ी गोदाम	10,000/–	5000/–

ग. स्वामित्व अंतरण के लिए अंतरण फीस।

इकाई का नाम	राशि (रूपए में)
अनुलम्ब बैंड के साथ आरा मशीन	10,000/–
सपाट बैंड के साथ आरा मशीन	20,000/–
विनियर मिल	40,000/–
प्लाईवुड इकाई	50,000/–
स्टेंडअलोन चिराई मशीन	10,000/–
स्टेंडअलोन स्लाइसर	20,000/–
स्टेंडअलोन प्रेस	40,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर	50,000/–
पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन	50,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड	75,000/–
कत्था इकाईयां	20,000/–
काष्ठ कोयला इकाईयां	7,500/–
लकड़ी गोदाम	10,000/–

टिप्पणी:– 1 व्यवसाय के कारण स्वामित्व अंतरण मामलों में कोई फीस नहीं ली जाएगी। विरासत अन्तरण के कारण स्वामित्व परिवर्तन के लिए कोई भी अन्तरण फीस प्रभावित नहीं की जाएगी।

2 व्यवसाय के विरासत/विभाजन या विलय के मामले को छोड़कर, प्रवर्ग से संबंधित एकमुश्त भुगतान के पचास प्रतिशत के बराबर राशि अन्तरण फीस के साथ अतिरिक्त रूप में भुगतान की जाएगी, यदि अन्तरण अनुज्ञप्ति/पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले होता है।

घ. स्वामित्व और अवस्थिति में परिवर्तन के लिए फीस।

इकाई का नाम	राशि (रूपए में)
अनुलम्ब बैंड के साथ आरा मशीन	20,000/–
सपाट बैंड के साथ आरा मशीन	40,000/–
विनियर मिल	80,000/–
प्लाईवुड इकाई	1,00,000/–
स्टेंडअलोन चिराई मशीन	20,000/–
स्टेंडअलोन स्लाइसर	40,000/–
स्टेंडअलोन प्रेस	80,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर	1,00,000/–
पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन	1,00,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड	1,50,000/–
कत्था इकाईयां	40,000/–
काष्ठ कोयला इकाईयां	25,000/–
लकड़ी गोदाम	20,000/–

टिप्पणी:– 1 विरासत अन्तरण के कारण स्वामित्व/अवस्थिति के परिवर्तन के लिए कोई फीस प्रभावित नहीं की जाऐगी।

2 व्यवसाय के विरासत/विभाजन या विलय के मामले को छोडकर, प्रवर्ग से संबंधित एकमुश्त भुगतान के पचास प्रतिशत के बराबर राशि अन्तरण फीस के साथ अतिरिक्त रूप में भुगतान की जाएगी, यदि अन्तरण अनुज्ञप्ति/पंजीकरण जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले होता है।

ड़. आवेदन के समय प्रकिया फीस।

इकाई का नाम	राशि (रूपए में)
अनुलम्ब बैंड के साथ आरा मशीन	5,000/–
सपाट बैंड के साथ आरा मशीन	10,000/–
विनियर मिल	20,000/–
प्लाईवुड इकाई	25,000/–
स्टेंडअलोन चिराई मशीन	5,000/–
स्टेंडअलोन स्लाइसर	10,000/–
स्टेंडअलोन प्रेस	20,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर	25,000/–
पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड/कागज लुगदी/रेऑन	25,000/–
माध्यम घनत्व फाइबर/उच्च घनत्व फाइबर और पार्टीकल बोर्ड/ब्लॉक बोर्ड	40,000/–
कत्था इकाईयां	10,000/–
काष्ठ कोयला इकाईयां	7,500/–
लकड़ी गोदाम	5,000/–

डा. जी. अनुपमा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग।